

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पत्र संख्या :- 78/2025 दिनांक 14/5/25

अनवान

167

श्रीमति सुडी महेपाली (मास्) धरापूर
निवासी मुसलमान बेगू

प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम
श्रीमान भूमिधारी जी तहवील डार एल.
तहवील बेगू

विपक्षी / विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री K.C. मन्ना के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जॉच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा दुगाड़ पटवार हल्का दुगाड़ की आराजी संख्या 2036/72 कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है। कुल कीता-01 कुल रकबा 0.1800 है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा दुगाड़ पटवार हल्का दुगाड़ की आराजी संख्या 2036/72 कुल कीता-01

कुल रकबा 0.1800 है। भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।
संलग्न :- प्रार्थना पत्र कीता-1

क्रमांक / सरिरता / 2025 / 298

प्रार्थना पत्र संख्या 78/25 व अनवान 25/15/25 प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वारंते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक :- 14/5/25

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)